

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही विवरण
२३/१५	<p>वकील वादीगण उपस्थित नहीं। वादीगण स्वयं भी उपस्थित नहीं। इनकी अनुपस्थिति व्यापक कोर्ट कारण भी पेश नहीं हुआ। बार-बार आवाज लगावाई गई। अतः यह बाक-पष्ट अदम पैरवी अदम अजरी में खारिज किया जाता है। प्रावली नियम में शुमार की जाकर नम्बर से काम हो तथा वकील हुक तरीका एकामिल होकर दाखिल दफ्तार हो।</p>